भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2026

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क

2026 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रिक वाहन अपने शून्य उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को कम करने में प्रभावी हैं;

(ख) क्या सरकार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और निर्माण (एफएएमई) तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;

(ग) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है, जिसके कारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी भारी कमी है; और

(घ) विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस संबंध में निर्धारित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), एग्जास्ट पाईप (टेलपाइप) से शून्य उत्सर्जन के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने में प्रभावी हैं।

(ख) और (ग) सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय, सक्रिय रूप से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम-इंडिया) पहल और कई उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देता है। फेम-II 11,500 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय के साथ संपन्न हुई, जिसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ मांग-पक्षीय प्रोत्साहनों के लिए शुरू की गई। इसके साथ ही, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना (25,938 करोड़ रुपये) और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए पीएलआई योजना (18,100 करोड़ रुपये) का उद्देश्य उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों और बैटरी सेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) पोर्टल के नवीनतम आंकड़ों (जुलाई 2026) के अनुसार, देश भर में 52,718 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

(i) बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान करने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5333(अ) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई।

(ii) बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नए पंजीकरण चिह्न के आवंटन के प्रयोजनार्थ शुल्क भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए सा.का.नि. 525(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई।

(iii) बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए परमिट शुल्क के भुगतान के बिना अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्रदान करने के लिए सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई।

(iv) वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रोफिटमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए सा.का.नि. 167(अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई।

(v) बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में करने की सुगमता के लिए दिनांक 7 अगस्त 2018 के सा.का.नि. 749(अ) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई।

(vi) इसके अलावा, बिना बैटरी वाले दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 12 अगस्त 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

चार्जिंग स्टेशन की स्थापना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त कार्य है और निजी कंपनियां विद्युत मंत्रालय के 17 सितंबर, 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित कर सकती हैं।

* * * * *